FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--- 66 **Dated----** 30/04/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.3500 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Pandavthali-Uchola-Mana Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Nag & Dharkot** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Raghav

(Dr. Raghav Langer)

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 30\4\15 at time ..2:00 P.M at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **0.3500 hect** for the **Construction of Pandavthali-Uchola-Mana Motor Road under District Sector (0.600 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:..30|4|15

Raghav/

(Dr. Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– **जिला योजना के अन्तर्गत मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–कुरछोला–माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– ....धारकोट (?) ...... नागा
तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत **जिला योजना के अन्तर्गत मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–उछोना–माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.3500 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 0.3500 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारकोट एवं नागा द्वारा दिनांक 23/03/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारकोट एवं नागा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

लक्ष्मी देवी
(लक्ष्मी देवी)
क्षेत्र पंचायत सदस्य कुरछोला
वार्ड न0 23
विकास खण्ड जखोली (रूद्रप्रयाग)

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राम प्रधान नागा

प्रधान ग्राम पंचायत नागा
ह0 ....
दि0 ....
वि0 ख0 जखोली, रूद्रप्रयाग

ग्राम प्रधान धारकोट
प्रधान ग्राम पंचायत धारकोट
ह0 लक्ष्मी देवी
वि0 ख0 जखोली

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–कुरछोला–मानकण्डा मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

दिनांक 23/03/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारकोट एवं नार्गा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री बलवीर सिंह कैप्टन पूर्व प्रधान	[illegible]
2.	श्री हरि कृष्ण पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य	[illegible]
3.	श्री नरेन्द्र सिंह वार्ड धारकोट	[illegible]
4.	श्री बंशी लाल	[illegible]
5.	श्री बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
6	श्रीमती लक्ष्मी देवी क्षे0 पं0 स0	रणजीत सिंह
7.	रणजीत सिंह पंवार	सुरत सिंह
8.	सुरत सिंह	

लक्ष्मी देवी
(लक्ष्मी देवी)
क्षेत्र पंचायत सदस्य कुरछोला
वार्ड न0 23
विकास खण्ड जखोली (रुद्रप्रयाग)

संलग्न है।

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0 ....
दि0 ....
वि0 ख0 जखोली, रुद्रप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत धारकोट
लक्ष्मी देवी
वि0 ख0 जखोली

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–कुरछोला माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

अनु0क0डाडा

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जिला योजना के अन्तर्गत मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–उछोना–माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.3500 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 0.3500 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील जखोली)** की दिनांक 25-04-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवमूर्ति यादव, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देवमूर्ति यादव उपजिलाधिकारी जखोली –अध्यक्ष
2– श्री सोहन लाल उप प्रभागीय वनाधिकारी जखोली –सदस्य
3– श्री हरिहर गौतम सहायक समाज कल्याण अधिकारी जखोली सदस्य/सचिव
4– श्री लक्ष्मी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र जखोली –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जिला योजना के अन्तर्गत मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–उछोना–माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** परियोजना हेतु **0.3500 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जिला योजना के अन्तर्गत मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–उछोना–माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** परियोजना के निर्माण हेतु **0.3500 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड जखोली
जनपद रूद्रप्रयाग

लक्ष्मी देवी
(लक्ष्मी देवी)
क्षेत्र पंचायत सदस्य कुरछोला
वार्ड नं0 23
विकास खण्ड जखोली (रूद्रप्रयाग)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि **पाण्डवथली**—कुण्डोलीग्राम मोटर डांडा अजु वस्ती मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 23/03/2015 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

ह0 पटवारी /मोहर

नाम भूमिधर

नाम–	हस्ताक्षर
1. जसपाल सिंह भण्डारी	जसपाल
2. लोकसिंह भण्डारी	लोकसिंह
3. जगदीश लाल	जगदीश
4. बलवीर लाल	बलवीर
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	